

10.6 कर प्रयत्न एवं करदान क्षमता (Tax Effort and Taxable Capacity)

प्रथा यह रही है कि कर के स्तर की माप कर आय तथा राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में की जाती है, जिसे संक्षेप में सिर्फ कर अनुपात (tax ratio) कहा जाता है। कर अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र के आकार का संकेत है। कर अनुपात कई तत्वों से निर्धारित होता है जिनमें से एक आर्थिक विकास की अवस्था है जिसकी विवेचना ऊपर की गयी है। एक अन्य निर्धारक तत्व देश की करदान क्षमता है। करदान क्षमता इन बातों पर निर्भर करती है कि लोगों के कर भुगतान की योग्यता कितनी है तथा सरकार के कर वसूल करने की योग्यता क्या है। करदान क्षमता का जितना उपयोग किया जाता है वह कर प्रयत्न कहलाता है।

करदान क्षमता एक विवादास्पद धारणा है जिसकी विस्तृत विवेचना आगे अध्याय 14 में की गयी है। यहां इतना बताना काफी होगा कि करदान क्षमता यानि लोगों के कर भुगतान करने की योग्यता मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करती है। सरकार के कर वसूल करने की योग्यता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे प्रशासन की प्रभावकारिता जो राजस्व कर्मचारियों की संख्या, कौशल एवं समर्पण की भावना द्वारा निर्धारित होती है तथा करदाताओं का सहयोग जो सामाजिक एवं राजनीतिक मनोवृत्ति से प्रभावित होता है। ये सभी ऐसे तत्व हैं जिनका परिमाणन (quantification) सम्भव नहीं है। अतः करदान क्षमता एवं कर प्रयत्न सम्बन्धी सभी अर्थमिक्त अध्ययनों (Econometric Studies) में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, खनिज उत्पादन, कृषि, विनिर्माण (manufactures), बड़े उद्यमों के लेन-देन, जैसे कर के आधार को ही चरों के रूप में शामिल किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में ऐसे अनेक अध्ययन हुए हैं जिनसे यह जानने का प्रयास किया गया है कि उपरोक्त चरों एवं वास्तविक कर अनुपात के मध्य विकासशील देशों में क्या सम्बन्ध है। वास्तविक कर अनुपात पर करदान क्षमता एवं कर प्रयत्न दोनों का प्रभाव पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के अतिरिक्त भी कुछ अन्य अध्ययन हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों की विवेचना नीचे की गयी है।

शायद पहला व्यवस्थित अध्ययन विलियमसन¹ का था जिसने 33 विकसित एवं विकासशील देशों के प्रतिदर्श (sample) में प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक विकास के स्टेज के रूप में लिया। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय तथा कर अनुपात में गहरा सम्बन्ध पाया। याद रहे कि ऐसा घना सम्बन्ध उस समय पाया गया जब विकसित एवं विकासशील देशों का एक साथ अध्ययन किया गया, किन्तु केवल विकासशील देशों को पृथक् रूप से लेने पर प्रति व्यक्ति आय का प्रभाव संदेहात्मक हो जाता है। चुने हुए 20 अल्प-विकसित देशों के अध्ययन में प्लासचार्ट² (Plasschaert) ने प्रति व्यक्ति आय तथा आयात/राष्ट्रीय आय अनुपात को चर के रूप में लिया तथा ऐसा जानने का प्रयास किया कि विभिन्न देशों के कर अनुपात की भिन्नता की व्याख्या इनके द्वारा किस प्रकार होती है। इस अध्ययन में कर अनुपात के निर्धारण में आयात अनुपात महत्वपूर्ण निकला, जबकि प्रति व्यक्ति आय ऐसी नहीं मिली।

हिनरिच ने 60 देशों का अध्ययन 1957-60 अवधि के लिए किया। इस अध्ययन में उन्होंने निम्न तीन प्रश्नों की जांच की :

(क) क्या अल्प-विकसित देशों में सरकार की आय को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक प्रति व्यक्ति आय है ?

(ख) क्या प्रति व्यक्ति आय से भी अधिक उपयुक्त कोई अन्य कारक है ?

(ग) यदि है, तो क्यों ?

रिगेशन विश्लेषण के आधार पर हिनरिच निम्न निष्कर्ष पर पहुंचे :

(क) अल्प-विकसित देशों में सरकारी आय पर देश के खुलेपन (openness of the economy) का प्रभाव प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक पड़ता है। खुलेपन की माप आयात/सकल राष्ट्रीय आय, निर्यात/सकल राष्ट्रीय आय या विदेशी व्यापार/सकल राष्ट्रीय आय के रूप में की जा सकती है।

(ख) जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 300 डॉलर से कम है, उनका सरकारी आय का अनुपात 5 प्रतिशत जोड़ खुलेपन के आधे के बराबर होता है। (मान लें खुलेपन का अनुपात 6 प्रतिशत है। ऐसे देश की सरकारी आय का अनुपात सम्भवतः $5 + \frac{1}{2} \times 6 = 8$ प्रतिशत होगा।)

(ग) अब उन देशों को लें जो आधुनिकीकरण के पथ पर हैं तथा जिनकी प्रति व्यक्ति आय 300 डॉलर तथा 750 डॉलर के मध्य है। ऐसे देशों में प्रति व्यक्ति आय का प्रभाव सरकार की आय के

अनुपात पर काफी अधिक पड़ता है।